न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – प्रज्ञा केवलरमानी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री भंवरलाल पिता श्री सोमा जी कलासुआ मीणा निवासी बेडसा, तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
अतिरिक्तजिला कलक्टर डूंगरपुर दिनांक
28–03–2018 प्रकरण संख्या 02/2015

–––––/–––––

उपस्थित वक्त बहस :–1– श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय अधिवक्ता

–––––/–––––

आदेश **दिनांक 18–02–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बेडसा के हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय तहसीलदार सीमलवाड़ा के समक्ष इस आश्य की शिकायत पेश की कि मौजा बेड़सा के आराजी संख्या 903/1 किस्म चरागाह कुल रकबा 141 बीघा 17 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि पर श्री भंवरलाल पिता सोमाजी कलासुआ निवासी बेडसा द्वारा अतिक्रमण कर परकोटा बना दिया गया, जिस पर तहसीलदार सीमलवाड़ा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 124/2014 के तहत दिनांक 15–4–2014 को निर्णय पारित कर मौजा बेडसा की आराजी संख्या 903/1 किस्म चरागाह कुल रकबा 144 बीघा 17 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि पर बना परकोटा निर्माण एवं कब्जा हटाने तथा वार्षिक लगान 2 रूपये का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर वसूलने के आदेश के साथ उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों की सुरक्षा अपने नियन्त्रण में रखने हेतु ग्राम पंचायत बेडसा को आदेश दिये गये। इस आदेश की अपील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर के समक्ष की गई। जहा से दिनांक 28–3–2018 को न्यायालय

तहसीलदार सीमलवाड़ा के निर्णय दिनांक 15–4–2014 को यथावत रखा गया।

अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर के उपरोक्त निर्णय दिनांक 28–3–2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में यह द्वितीय अपील दिनांक 8–5–2018 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किए जाने पर उनकी और से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की। इसके विपरीत वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपील अपीलान्ट विधि–विरूद्ध होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए प्रस्तुत सारहीन अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने अपने पक्ष में प्रमुखतया यह दलील रखी कि विवादित आराजी संख्या 903/1 अपीलान्ट की मौरूसी खातेदारी आराजी संख्या 622, 623 से लगी होकर बाप–दादाओं के समय से उक्त रकबा 4 बीघा भूमि पर कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट ने आज से करीब 30–35 वर्ष पूर्व पुरानी कोट को हटाकर नयी कोट बनाई एवं सम्पूर्ण भूमि पर फलदार वृक्ष लगाऐ गए जो आज वर्षो पुराने होकर मौके की स्थिति को स्पष्ट करते है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा है। सन् 2000 से अपीलान्ट उक्त आराजी की पेनल्टी भी जमा कराता रहा है तथा उक्त आराजी किस्म के अनुसार इसका उपयोग पशु चराई हेतु होता रहा है एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विवादित हिस्से पर फलदार एवं अन्य वृक्ष लगाए गए है। इसी कम में अपीलान्ट द्वारा स्थल निरीक्षण एवं मौका रिपोर्ट तलबी हेतु भी अनुरोध किया गया। साथ ही अपीलान्ट मीणा जाति का होकर नियमन हेतु रियायत का पात्र होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्त होना बताया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भूमि किस्म चरागाह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–16(I) के तहत आवंटन व नियमन हेतु विधि द्वारा प्रतिबन्धित (barred by law) होने व कब्जे के आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने का कथन किया गया। साथ ही अपीलान्ट स्वयं की विवादित भूमि पर काबिज होने की स्वीकारोक्ति के दृष्टिगत स्थल

निरीक्षण व मौका रिपोर्ट को आवश्यकता नहीं बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र व अपील निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली तथा रेकर्ड का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह एक निर्विवाद स्थिति है कि अपीलार्थी का कब्जा चरागाह भूमि पर है, जिस पर धारा–16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान आकर्षित होते है, जिनके तहत कोई खातेदारी अधिकार देय नहीं है। अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उक्त प्रतिबन्धित श्रैणी की भूमि पर परकोटा निर्माण किया गया है। अतः पृथक से मौका रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No./1132/2011/ SLP (C) No. 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–1–2011 में चरागाह भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किए गए आवंटनों को अवैध माना है। उक्त आदेश के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य द्वारा भी चरागाह भूमियों के निजी अथवा व्यावसासिक उपयोग के लिए आवंटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द किए जाने का निर्णय जरिये परिपत्र दिनांक 25–4–2011 प्रसारित किया गया है।

उपरोक्त परिदृश्य में सार्वजनिक भूमि पर इस प्रकार का निर्माण निजी उपयोग को इंगित करता है, जो अतिक्रमण की श्रैणी में आने से बेदखली योग्य है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा सार्वजनिक भूमि की सुरक्षार्थ प्रदत्त आदेश दिनांक 15–4–2015 एवं अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिल कलक्टर डूंगरपुर का निर्णय दिनांक 28–3–2018 विधिसम्मत है।

उक्त विवेचन से अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार करते हुए निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार सीमलवाड़ा का मूल आदेश दिनांक 15–4–2015 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर का निर्णय दिनांक 28–9–2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18–2–2019 को सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर